पत्रांक–10/स्था0 व्यय आ0 (निबंधन)– 40/2024–25 53 (10)/आ0रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला अवर निबंधक,
राँची।

राँची, दिनांक– 30-8-2024

विषयः– स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2030–स्टाम्प पंजीकरण, उप मुख्यशीर्ष–03–पंजीकरण, लघुशीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष–06–निबंधन शुल्क की वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई विपत्र कोड 38S20300300106000886 में कुल रू0 ₹70,00,000/- (सत्तर लाख रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2024–25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत आपके पत्रांक–1237, दिनांक–28.08.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में निबंधन शुल्क वापसी के अंतर्गत "वापसी" इकाई में रू0 ₹70,00,000/- (सत्तर लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन संबंधित डी0डी0ओ0 कोड–RNCSNR 003 में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं पत्रांक–257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. राशि निकासी से संबंधित विपत्र पर शीर्षादि एवं माँग संख्या–38 के अतिरिक्त विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

6. आवंटित राशि का भुगतान एक महीने के भीतर कराना सुनिश्चित किया जाय एवं अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 से पूर्व अवश्य कर दिया जाय।

7. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

29/8

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/स्था0 व्यय आ0 (निबंधन)– 40/2024–25 53/311 राँची, दिनांक– 30-8-2024

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/XXIV

सरकार के सचिव।

sec10/23-24/reg.allot.(lalit)